


396



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मूल प्रदेश न्यायिक भूमि प्र०

पुकरण क्रमांक : 1/2017 निगरानी फ ८१७-२-१७

ज्ञान कुमार
द्वारा आज दि २३-२-१७ को
प्रस्तुत

वल्क औंक को २३-२-१७
राजस्व मण्डल मूल प्रदेश न्यायिक

द्वारा पुत्र गुलाब सिंह,

निवासी - ग्राम पचासरा लोदा ज़िला विदिशा

-- निगरानी क्रा०

बनाम

1- बलुआ पुत्र भोहन जाति आद्वार निवासी
ग्राम पचासरा, तहसील त्योदा ज़िला
विदिशा

2- रामबीर पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम पचासरा
तहसील त्योदा, ज़िला विदिशा

-- अस्पष्ट-त्योदा

निगरानी भाषीनमन्तर्गत छारा ५० म. प्र. भू राजस्व
संविता विरुद्ध आदेशादिनांक २०.०२.२०१७ छारा
पारित न्यायालय तहसीलदार त्योदा, के पुकरण क्रमांक
22 / ए-७०/२०१५-१६ व उन्वान बलुआ बनाम रामबीर।

माननीय न्यायालय

निगरानी क्रा० को ओर ते निगरानो निम्नप्रकार

प्रस्तुत है :-

(१) यह कि, आवेदक क्रमांक । छारा प्राधीरौ के किंद्र म.प्र.

भू राजस्व संविता की छारा २५० के तहत किंवा

न्यायालय के संक्षेत्र का यथा वो संपादित की गई है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-717-एक/17

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५/२१/८	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-४-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक</p> 	<p>M</p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p>